

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, (एस.डी.ओ) बाड़मेर

पीठारीन अधिकारी-श्री नीरज मिश्र, आर.ए.एस

दिनांक - 14.12.17

क्रमांक रीडर/2017/2718

प्रार्थीगण

बनाम

विप्रार्थीगण

1 प्रहलादराम 2
वंशीलाल पिसरान
सरूपाराम जाति
सुथार निवासी राय
कॉलोनी बाड़मेर
तहसील व जिला
बाड़मेर।

1 हड़वतसिंह पुत्र सांगसिंह 2 लक्ष्मणसिंह पुत्र भीमसिंह
3 कुम्पसिंह 4 भूरसिंह 5 भगवानसिंह 6 उगमसिंह पिसरान
हाकमसिंह जाति रावणा राजपूत 7 किस्तुरसिंह 8 गवरी पत्नी
पदमसिंह 9 अनोपसिंह पुत्र रूपसिंह 10 लाभूरसिंह पुत्र
आईदानसिंह 11 थानसिंह पुत्र धन्नसिंह 12 हड़वतसिंह पुत्र
मानसिंह 13 मानसिंह पुत्र सांगसिंह 14 प्रभूसिंह
15 जुगतसिंह पिसरान अवलसिंह 16 हाकमसिंह पुत्र
लालसिंह 17 नरसिंह पुत्र प्रभूसिंह जाति पुरोहित
18 ईसाकखां पुत्र जमालखां जाति मुसलमान लोहार निवासी
लंगेरा तहसील व जिला बाड़मेर 19 स्वरूपसिंह पुत्र
सवाईसिंह जाति राजपूत निवासी गांधी नगर बाड़मेर।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128,111 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, करने नेखमबन्दी बाबत
राजस्व आवेदन संख्या :- 2215/2016

दिनांक- 14.12.17

आदेश

उपर्युक्त, प्रकरण मौजा डीगड़ा पटवार क्षेत्र आटी तहसील व जिला बाड़मेर के
खसरा संख्या 303 रकबा 39.02 बीघा खसरा संख्या 396 रकबा 34.02 बीघा, खसरा संख्या
277 रकबा 0.06 बीघा, खसरा संख्या 278 रकबा 07.05 बीघा, खसरा संख्या 304 रकबा 0.
03 बीघा कुल रकबा 80.18 बीघा भूमि के चारो तरफ पक्के नेखम स्थापित करते हुए
नेखमबन्दी करने हेतु तहसीलदार बाड़मेर को कमीशनर नियुक्त किया जाता है। उक्त
नेखमबन्दी कार्रवाई करने से पूर्व प्रार्थीगण व विप्रार्थीगण को नोटिस/पत्र के जरिये सूचित
करते हुए एक तिथि निश्चित (वर्षाकाल में खड़ी फसल पर सीमांकन व पत्थरगढी नहीं
करने बाबत राजस्व विभाग द्वारा जारी निर्देश दिनांक 07.09.1992 के मद्देनजर) कर
पक्षकारान की उपस्थिति में नेखमबन्दी की जावे। कमीशनर शुल्क रुपये 1500/- अक्षरे
एक हजार पांच सौ रुपये मात्र निर्धारित की जाती है, जो प्रार्थीगण द्वारा मौके पर अदा
किया जावेगा।



(नीरज मिश्र)
उपखण्ड अधिकारी,
बाड़मेर

दिनांक- 14.12.18

क्रमांक :- रीडर/2017/2719-22

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है :-

1. तहसीलदार बाड़मेर पालना प्रस्तुत करते वक्त पत्र पर निर्णय की तिथि अवश्य अंकित करें।
2. पटवारी आटी तहसील बाड़मेर को भेजकर लेख है कि निर्धारित तिथि को मय रिकर्ड उपस्थित रहकर नेखमबन्दी की कार्यवाही पूर्ण करावे।
3. प्रहलादराम पुत्र सरूपाराम वगैरह जाति सुथार निवासी राय कॉलोनी तहसील व जिला बाड़मेर।
4. विप्रार्थी हड़वतसिंह पुत्र सांगसिंह वगैरह जाति रावणा राजपूत निवासी लंगेरा तहसील व जिला बाड़मेर।

(नीरज मिश्र)
उपखण्ड अधिकारी,
बाड़मेर